देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर(म.प्र.)

क्रमांक / परीक्षा / निविदा / 2024 / 154 दिनांक : 15 MAR 2024

<u>शुद्धि–पत्र</u>

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के परीक्षा विभाग में उत्तर–पुस्तिका क्रय हेतु जारी ई–निविदा विज्ञप्ति क्रमांक / परीक्षा / निविदा / 2024 / 95 दिनांक 22.02.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

(1) निविदा की अन्य शर्ते–भाग–3(पृष्ठ क्रमांक–5) के बिन्दु क्रमांक–16 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :

''प्रदाय की गई सामग्री की प्राप्ति रसीद विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा सात दिनों की अवधि में प्रदाय की जावेगी। प्रदायकर्ता द्वारा **उत्तर–पुस्तिका** प्राप्ति के साथ प्रदाय की गई सामग्री के बिल तीन प्रतियों में कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर के नाम से भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। साथ ही प्रदाय की गई उत्तर–पुस्तिकाओं में प्रयोग किये गये कागज की गुणवत्ता संबंधी परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति जिस पर कागज की गुणवत्ता का स्पष्ट उल्लेख तथा परीक्षण का दिनांक अंकित हो प्रस्तुत करना होगा।''

(2) निविदा की अन्य शर्ते–भाग–3(पृष्ठ क्रमांक–5) के बिन्दु क्रमांक–18 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :

''यदि निविदाकार क्रयादेश में उल्लेखित शर्तो में तथा समय सीमा में **उत्तर–पुस्तिकाओं** का प्रदाय नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता की निष्पादन प्रतिभूति राजसात करने उपरांत विश्वविद्यालय द्वितीय क्रम के निविदाकर्ता से उसकी सहमति पर प्रथम क्रम के निविदाकर्ता की दरों पर **उत्तर–पुस्तिकायें** क्रय करने एवं अनुबंध करने के लिये स्वतंत्र होगा।''

(3) निविदा के Appendix 2 (पृष्ठ क्रमांक–10) के बिन्दु क्रमांक–3 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :

''यह कि फर्म का **उत्तर–पुस्तिका** प्रदाय कार्य के सम्बंध मे कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।''

Aroon

कुलसचिव